

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 01 असाध्य रोग के मामले में ₹ 25000/- (पच्चीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 125000/- (एक लाख पच्चीस हजार रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )/ दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती गीता देवी, श्री मुन्ना सिंह, सामान्य	स्वयं	894/08.11.2018	ग्रा0+पो0-अमांव, था0+प्र0-चैनपुर, कैमूर	1017001 7000150 18	PNB AMAON, BHABUA, PUNB0101700	₹ 25000/- (पच्चीस हजार रूपए)	असाध्य रोग, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व0 वंश रोपन राम, श्री रामपति राम, अनु0 जाति	श्री राजू कुमार(पुत्र)	972/06.12.2018	ग्रा0-सिकटी, पो0-अखलासपुर, प्र0-भभुआ, कैमूर	4480010 0001749	BANK OF BARODA, BHABUA, BARBOBHABHU	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 125000/-

(एक लाख पच्चीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-29/2018 के पृष्ठ-10/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-29/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-29/2018 - 56


पटना, दिनांक :- 08.09.2019

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 125000/- (एक लाख पचीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, ~~कटिहार~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, ~~कटिहार~~ को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

  
(डा। गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।